

28 <sup>10</sup>/<sub>24</sub>

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली के अन्वय के अनुसार तीन बार आवार्जे लगाई जाने के बावजूद वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं अतः प्रकरण अदम हाजरी और अदम पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली केसल शुमार लेकर नंबर से कम हो।



3  
सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बासी